न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 149/2017 (उदयपुर डिक्री)

मोहनलाल पिता भैरूलाल जी धाबाई, निवासी हवाला खुर्द, पोस्ट बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा
दिनांक 10.07.2017 प्र.सं. 100/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय **दिनांक 23–10–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम हवाला खुर्द में आराजी नंबर 1061 रकबा 0.0800 एवं 1063 रकबा 0.0450 में से कुल 0.1150 हैक्टर भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा है, जो 30 वर्षो से भी अधिक समय से चला आ रहा है। अतः वादी को खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 10–07–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर उनकी ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अपीलान्ट को बिना सुने लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 30 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने से प्रतिकूल कब्जा परिपक्व हो चुका है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकर की जाकर कथित निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्टगण के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट/वादी के वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है, जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने भी इसी आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–10–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.** .....

मोहनलाल पिता भैरूलाल जी धाबाई निवासी हवाला खुर्द, पोस्ट बड़ी, तह. बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **राजस्थान सरकार जरिये जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**149 / 2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर**.....
(फास्ट ट्रेक) गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....10**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**....माह.....**.10**.....सन् **2019** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा.....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री पंकज भटनागर**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**.10**.....**2019** को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।